श्री दीपक विरुवा, स०वि०स० के द्वारा दिनांक 09.03.2015 को पूछे जानेवाले अल्प सूचित प्रश्न सं० – अ०सू०–23 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि वर्ष 2014 में गढ़वा जिला में 05, खूँटी जिला में 02 एवं राँची जिला में 05 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के 2 नक्सली को ही सरेंडर पॉलिसी का लाभ दिया गया है।	राँची जिलान्तर्गत वर्ष 2014 में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली रंगलाल मुण्डा को नीति के अंतर्गत पुनर्वास अनुदान एवं आवास निर्माण हेतु रु० 1,00,000/– का भुगतान स्वीकृत किया गया है, जबकि शेष 04 नक्सलियों को रु० 50–50 हजार पुनर्वास अनुदान के मद में भुगतान किया गया है। सभी 05 नक्सलियों को शेष लाभों के संबंध में भुगतान प्रक्रियाधीन है।
3	क्या यह बात सही है कि शेष 10 नक्सलियों को संबंधित जिलों के डी०सी०/एस०पी० की अनुशंसाएँ अप्राप्त होने से सरेंडर पॉलिसी के लाभ से वंचित है।	सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को आत्मसमर्पण के अवसर पर तत्काल पुनर्वास अनुदान के रुप में रु० 50,000/– का भुगतान किया जा चुका है। अन्य लाभों के संबंध में प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आत्म समर्पण करने वाले शेष नक्सलियों को भी सरेंडर पॉलिसी का लाभ देने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नही तो क्यो?	समुचित प्रस्ताव प्राप्त होते ही प्रत्यार्पण नीति का लाभ शेष को दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
गृह विभाग।

ज्ञापांक:–18/वि०स०(02)07/2015-1298/राँची, दि०08/03/2015 ई०।

प्रतिलिपि :– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/15
सरकार के उप सचिव

डा० जीतू चरण राम, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–09.03.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–22 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में SAPF (स्पेशल ऑक्जीलरी पुलिस फोर्स) का कार्यालय विस्तार 31 मई, 2015 तक ही है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि SAPF (स्पेशल ऑक्जीलरी पुलिस फोर्स) की नियुक्ति कर झारखण्ड पुलिस को मजबूती देने के लिए सरकार पहल कर रही है ;	राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में SAPF का गठन विधि व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य को अल्प अवधि में सुधारने के लिए दो वर्षों के लिए किया गया था। जिसमें ये प्रावधानित था कि अधिकतम पाँच वर्षों के लिए अवधि विस्तार किया जा सकेगा। किन्तु SAPF कर्मियों को अवधि विस्तार 31.05.2015 तक किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार SAPF (स्पेशल ऑक्जीलरी पुलिस फोर्स) को अगले 5 (पाँच) वर्षों तक के लिए विस्तारित करते हुए झारखण्ड पुलिस बल को मजबूती देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	गृह विभाग के पत्रांक–6924, दिनांक –17.10.2014 द्वारा SAPF का अवधि विस्तार दिनांक–31.05.2015 तक अंतिम रूप से किया गया है। अवधि समाप्त होने के पूर्व मामले की समीक्षा कर अवधि विस्तार पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–15 / वि०स०–07 / 2015 1297 / राँची, दिनांक– 08 / 03 / 2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/15
सरकार के उप सचिव।

माननीय विधायक श्री राधा कृष्ण किशोर, दिनांक **04.03.2015** से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न सं॰ अ॰ सू॰ . 08 का उत्तर

क्रं	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तरः–
1.	क्या यह बात सही है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित झारखण्ड प्रदेश के जिलों के भूगर्भीय जल में फ्लोराइड और आर्सेनिक पाये जाते है	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। विभिन्न जलस्रोतों के सैम्पल की जाँच के क्रम में गढ़वा/पलामू में फ्लोराइड की मात्रा अनुमान्य सीमा (1.5 PPM) से अधिक कतिपय स्रोत पर पाई गई है। साहेबगंज में आर्सेनिक की मात्रा कतिपय स्रोत पर अनुमान्य सीमा 0.01 PPM से अधिक पायी गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि सीमावर्त्ती जिलों के कई लोग फ्लोराइड एवं आर्सेनिक युक्त पानी पीने से विभिन्न गंभीर बिमारियों से ग्रसित है	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इन जिलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक और नहीं तो क्यों ?	(i) उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा पर अवस्थित मुख्य रूप से गढ़वा जिलें में 126, पलामू जिलें में 170 पेयजल स्त्रोंतो में फ्लोराइड की मात्रा अनुमान्य सीमा 1.5 PPM से अधिक पायी गयी है। साहेबगंज जिलें में मुख्य रूप से आर्सेनिक की मात्रा 125 पेयजल स्त्रोंतो में अनुमान्य सीमा 0.01 PPM से अधिक पायी गयी है। (ii) Short Term Measure के तहत पलामू एवं गढवा में 119 स्थलों पर Fluoride Removal Attachment को लगाकर पेयजलापूर्ति की व्यवस्था की गई है। साहेबगंज जिलें में 26 अद्द Arsenic Removal Plant लगाकर पेयजल की व्यवस्था की गई है। अधिक कारगर व्यवस्था के लिए वर्त्तमान में पलामू तथा गढ़वा में 200 अद्द Electrolytic Defluoridation Plant तथा 125 अद्द Arsenic Removal Plant का अधिष्ठापन वित्तीय वर्ष 2015–16 तक किया जाना है। ऐसे प्लांट अधिष्ठापन के बाद 10 पैसे प्रति लीटर की लागत पर प्रति व्यक्ति 10 लीटर पेयजल की आपूर्ति ग्राम जल स्वच्छता समिति (Village Water & Sanitation Committee) द्वारा किया जायेगा। (iii) गढ़वा जिलें के प्रतापपुर में कोयल नदी से प्रतापपुर ग्रामीण जलापूर्ति के माध्यम से प्रतापपुर, दरनी, पतसा गाँवों में पेयजलापूर्ति की जा रही है। सतही कूप स्त्रोत द्वारा खूरी, हतनावाटोला, रामपुर टोला, रणपुरा, जाहरीकरण टोला, मसरा आदि गाँवों में पाइप जलापूर्ति सोलर पावर द्वारा की जा रही है। (iv) पलामू जिलें में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु

		फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में चैनपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना तथा कँकारी जलापूर्ति योजना चालू है, जिससे लगभग 12 हजार की आबादी में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। बारालोटा, चुकरू, विश्रामपुर, रेहला आदि योजनाओं का कार्यान्वयन अगले दो–तीन वर्षो में पूर्ण किये जाने की संभावना है। (v) साहेबगंज जिलें में आर्सेनिक की मात्रा गंगा के तट पर अनुमान्य सीमा 0.01 PPM से अधिक पाया गया है, वहां पर साहेबगंज Mega Water Supply Scheme का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना से साहेबगंज, राजमहल, उधवा तथा बरहेट प्रखंड के 58 ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। यह योजना 2016 तक चालू होने की संभावना है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/ अल्प सूचित 02/15 . 740 दिनांक 3/3/15

प्रतिलिपिः झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 294 दिनांक 28.02.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/15

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

माननीय विधायक श्री बादल, द्वारा दिनांक 04.03.2015 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं॰ - 13 का उत्तर

क्रं	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तरः–
1	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में घरों में शौचालय नहीं रहने से आज भी 92 प्रतिशत आबादी खुले में शौच को बाध्य है ?	वस्तु स्थिति यह है कि Baseline Survey 2012 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के कुल घरों की संख्या 5158257 है। जिसमें से कुल 37,12,585 घरों में घरेलु व्यक्तिगत शौचालय नहीं है। लगभग 72% घरों में शौचालय नहीं है।
2	या यह बात सही है कि राज्य के 40 हजार स्कूलों में से 6 हजार 2 सौ स्कूलों में लड़कियों के लिए तथा 6 हजार 2 सौ स्कूलों में लड़को के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की WP (PIL) No. – 6978 of 2013 के संदर्भ में मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा समर्पित सूची के अनुसार सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लड़कों के लिए 2240 अदद शौचालय विहीन विद्यालयों में शौचालय बनाने के लक्ष्य निर्धारित है। अभी तक कुल 1764 अदद विद्यालयों में शौचालय का निर्माण किया जा चुका है, 259 प्राथमिक विद्यालयों पर निर्माण कार्य प्रगति में है तथा शेष 217 अदद प्राथमिक विद्यालयों में भूमि विहीन/भवन विहीन है, जिसपर भारत सरकार का पत्रांक W11013/08/2014 (Pt) दिनांक 30.09.2014 के अनुसार मानव संसाधन विकास विभाग झारखण्ड द्वारा भविष्य में शौचालय निर्माण किया जाना है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार ग्रामीण क्षेत्र के शत प्रतिशत घरों एवं सभी विद्यालयों में शौचालय निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक और नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक a) ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत पूरा करने का प्रस्ताव है। b) सरकारी विद्यालयों में शेष बजे 259 विद्यालयों में शौचालय बनाने का कार्य मानव संसाधन विभाग द्वारा किया जाना है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः अल्प सूचति प्रश्न सं॰ 13 दिनांक 04.03.2015 – 1125/2015 - 425 दिनांक 3/3/15

प्रतिलिपिः झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 293 दिनांक 28.02.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/15

(सुरेश प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

SPMU/IEC&HRD/MAMTA